

झारखंड मंत्रिमंडल ने बजिली बकाया बलि माफ किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बजिली योजना से लाभान्वित होने वाले लगभग 39.44 लाख उपभोक्ताओं का 3,584 करोड़ रुपए का बजिली बकाया बलि माफ करने का नरिणय किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस नरिणय का उद्देश्य **मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना** के तहत पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करना है
- राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य नरिणय इस प्रकार हैं:
 - **ड्यूटी या सैन्य ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले झारखंड के अग्नवीर सैनिकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी दी जाएगी।**
 - अनुग्रह राशि वह धनराशि है, जो नैतिक दायित्व के कारण दी जाती है न कि कानूनी दायित्व के कारण।
 - **ऑगनवाड़ी पोषण सखियों और रसोइयों के पारिश्रमिक की अवधि 10 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करना।**
 - छह जिलों-धनबाद, दुमका, गरिडीह, चतरा, कोडरमा और गोड्डा में 10,388 पोषण सखियों की पुनर्नयुक्ति।

अग्नपिथ योजना

- "अग्नवीर" शब्द का अर्थ "अग्नियोद्धा" है। यह एक नया सैन्य पद है।
- यह सैनिक, वायुसैनिक और नाविक जैसे अधिकारी पद से नीचे के सैन्य कर्मियों की भरती की एक योजना है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं हैं।
- उन्हें 4 वर्ष की अवधि के लिये भरती किया जाता है, जिसके बाद इन भरतियों में से 25% तक (जन्हें अग्नवीर कहा जाता है), योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अधीन, **स्थायी कमीशन** (अन्य 15 वर्ष तक) पर सेवाओं में शामिल हो सकते हैं।
- वर्तमान में चिकित्सा शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोड़कर **सभी नाविक, वायुसैनिक और सैनिक** इस योजना के तहत सेवाओं में भरती किये जाते हैं।